

उत्तर प्रदेश डेंटल कौंसिल

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800



पत्रांक रा10

दिनांक

सेवा में,

सचिव,

भारतीय दन्त परिषद्,

ऐकान-ए-मालिय मार्ग,

कोटला रोड, नई दिल्ली-110002.

विषय-रामा डेंटल कालेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, कानपुर में डेंटल हाईजिनिस्ट प्रशिक्षण की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4, लखनऊ पत्र संख्या-1721/71-4-2019-एन-8/2016 दिनांक 27 सितम्बर, 2019 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। जिसके अन्तर्गत शासनादेश संख्या-1587/71-4-2019-एन-8/2016 दिनांक 18.09.2019 को निरस्त करते हुए आपके पत्र संख्या-1536/2019 दिनांक 02.08.2019 के संदर्भ में यह निर्देश हुआ है कि विद्यमान रामा डेंटल कालेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, कानपुर में डेंटल हाईजिनिस्ट प्रशिक्षण में 20 छात्र प्रतिवर्ष भर्ती क्षमता का प्रशिक्षण प्रारम्भ करने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है।

उ0प्र0 डेंटल कौंसिल के अध्यक्ष द्वारा डेन्टिस्ट एक्ट 1948 के सेक्शन 10 के अन्तर्गत दो निरीक्षकों द्वारा डा0 सुधीर कपूर, सदस्य, उ0प्र0 डेंटल कौंसिल एवं डा0 नैना श्रीवास्तव, सदस्य, उ0प्र0 डेंटल कौंसिल से संस्थान का पुनः स्थलीय निरीक्षण कराया गया।

अतः डेन्टिस्ट एक्ट 1948 के सेक्शन 10 के अन्तर्गत उ0प्र0 डेंटल कौंसिल के निरीक्षकों द्वारा प्रेषित निरीक्षण रिपोर्ट/संस्तुति (छायाप्रति संलग्न) के आधार पर अनुरोध है कि रामा डेंटल कालेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, कानपुर में डेंटल हाईजिनिस्ट प्रशिक्षण में 20 छात्र प्रतिवर्ष भर्ती क्षमता के पाठ्यक्रम की मान्यता प्रदान करने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

भवदीय,

पत्र संख्या-

✓ प्रतिलिपि-प्रधानाचार्य, रामा डेंटल कालेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, कानपुर को सूचनाार्थ हेतु प्रेषित।

रजिस्ट्रार,

उ0प्र0 डेंटल कौंसिल

दिनांक-

रजिस्ट्रार,

उ0प्र0 डेंटल कौंसिल।

